

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम मोहनलाल
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-46 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-46/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
20.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम धौलखेड़ा भूमि ख0न0 980/652 कुल रकबा 0.1077 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म चाही A पर गैर सायल मोहनलाल पुत्र सुखपाल जाति बैरवा निवासी धौलखेड़ा द्वारा फसल काशत कर (सरसों डालकर) अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया तथा अतिक्रमण हटाने पर सहमति दी। जिससे गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 3.52 रुपये का 50 गुणा 176 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई0एल0आर0 /पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

रा0 न0 स0 4 वर्ष-2022-23 की
प0 सं0-71-पर-176 रु.
मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व तस्काक

नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)

